सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 8, शुक्रवार, शाके 1943–जुलाई 30, 2021 *Sravana 8, Friday, Saka 1943- July 30, 2021*	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय संभागीय मुख्य अभियंता (प्र.व नि.)जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, जुलाई 27, 2021

संख्या प्रे 1413: भारतीय विधुत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885(केन्द्रीय अधि. 13/1885)के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचनादिनांक28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4(जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना सं. एफ.15 (4) ऊर्जा/2017 दिनांक 03.10.17 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) राराविप्रनिलि, अजमेर/जयपुर/जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग-अधिकार अर्थात राइट ऑफ़ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गतअधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी बिजली की आपूर्ति हेतु **लिलो132 के.वी. एकल परिपथ सूरतगढ़- रजियासर विद्युत पारेषण लाइन 132 के.वी.ग्रिड सब स्टेशन प्रभातनगर जिला श्रीगंगानगर** की उपयुक्त मंजूरी जारी करते है।

उक्त द्वि-परिपथ लाईन (लिलो) निम्नलिखित गांवो की सीमा/राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी।

क्रमांक	गावों के नाम	क्रमांक	गावों के नाम
1	प्रभातनगर	7	फरीदसर
2	सोमासर	8	रायांवाली
3	ठुकराना	9	राजपुरा पीपेरण
4	चक- 185 आर डी	10	सरदारपुरा लडाना
5	भोजेवाला	11	उदेपुर
6	चक 45 एम आर	12	बिरधवाल

बी.पी.चौहान,

मुख्या अभियंता(प्र. व नि.)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जोधपुर।

934

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।